

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-03/01/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक वनों का विकास योजनान्तर्गत गया वन प्रमंडल में हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना अन्तर्गत बांके बाजार प्रखंड में जल संरक्षण कार्य हेतु कुल ₹2,32,58,940/- (दो करोड़ बत्तीस लाख अनठावन हजार नौ सौ चालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राकृतिक वनों का विकास योजनान्तर्गत गया वन प्रमंडल में हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना अन्तर्गत बांके बाजार प्रखंड में जल संरक्षण कार्य हेतु कुल ₹2,32,58,940/- (दो करोड़ बत्तीस लाख अनठावन हजार नौ सौ चालीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-1228 दिनांक-06.12.2024 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना/प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, मांग संख्या-19, उप शीर्ष-0112-प्राकृतिक वनों का विकास, विपत्र कोड-19-2406011010112, विषय शीर्ष- 0112.27. 01-लघु कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंध कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
 10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
 11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन रासमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
 12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
 13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
 14. संचिका संख्या-436/2024 के पृष्ठ-04/टि० पर दिनांक-23.12.2024 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-26.12.2024 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
 15. संचिका संख्या-436/2024 के पृष्ठ-06/टि० पर दिनांक-01.01.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति एवं संचिका के पृष्ठ-07/टि० पर दिनांक-02.01.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-436/2024- 32 / प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-03/01/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी /आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मेनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-436/2024- 32 / प०व०ज०प०, पटना-15, दिनांक-03/01/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

"हर खेत में सिंचाई का पानी योजना" के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में गया जिला के बांकेबजार प्रखण्ड अन्तर्गत जल संरक्षण योजनाओं के प्राक्कलन का सारांश:-

क्र० सं०	प्रक्षेत्र का नाम	पी०एफ० का नाम	जी०पी०एस० लोकेशन	योजना का नाम	कुल प्राक्कलित राशि
1	शेरघाटी	विकोपुर चेरवा-1	N-24.462135 E-84.69078333	मृदा जल संरक्षण हेतु स्टॉप डैम का निर्माण योजना	1804990
2		बैताल	N-24.503845 E-84.7366033		1765984
3		बैताल नवादा	N-24.48890333 E-84.70162		2159136
4		विकोपुर चेरवा-2	N-24.46280533 E-84.687435		2115534
5		विकोपुर चेरवा-3	N-24.462075 E-84.69078667		1899185
6		बरहमोरिया-1	N-24.47682167 E-84.72752667		1765984
7		बरहमोरिया-2	N-24.47787167 E-84.72785333		1602691
8		बरहमोरिया-3	N-24.474685 E-84.72157167		1765984
9		बरहमोरिया-4	N-24.47519667 E-84.73273833		1353223
10		बरहमोरिया-5	N-24.47887167 E-84.72063167		1844292
11		बरहमोरिया-6	N-24.473035 E-84.71535833		1765984
12		बरहमोरिया-7	N-24.47307333 E-84.715375		1857968
13		बरहमोरिया-8	N-24.47304833 E-84.71538833		1557985
कुल-					23258940

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक
गया अंचल, गया

अग्रसारित

वन प्रमंडल पदाधिकारी
गया वन प्रमंडल, गया

वन संरक्षक, गया अंचल, गया के पत्रांक 1633 दिनांक 13.11.2024 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया के पत्रांक 7558 दिनांक 11.11.2024 के द्वारा सक्षम स्तर से प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलनों के सारांश पर वन संरक्षक, गया अंचल, गया की अनुशंसा के आधार ₹ 2,32,58,840/ (₹ दो करोड़ बत्तीस लाख अठानव हजार आठ सौ चालीस) मात्र के लिए तकनीकी अनुमोदन दी जाती है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना।